

राइजिंग राजस्थान से प्रदेश में निवेश के अनुकूल वातावरण बना : मुख्य सचिव

8 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरे : शिखर अग्रवाल

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राइजिंग राजस्थान के माध्यम से प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को आगामी 10 दिसंबर प्रवासी राजस्थानी



मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राइजिंग राजस्थान के दौरान हुए एमओयू के क्रियान्वयन को लेकर सोमवार को समीक्षा बैठक की।

■ 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के आयोजन तक और अधिक एमओयू के क्रियान्वयन में तेजी के निर्देश दिए

दिवस तक अधिकाधिक एमओयू को धरातल पर उतारने के लक्ष्य के साथ समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए। शासन सचिवालय में सोमवार को राइजिंग राजस्थान निवेश सम्मेलन के दौरान हुए एमओयू की प्रगति की समीक्षा बैठक में मुख्य

सचिव ने लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने को कहा। उन्होंने निवेश परियोजनाओं से जुड़ी फाइलें शीघ्र प्रस्तुत करने तथा जिला कलक्टरों के साथ समन्वय कर परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता से दूर करने के निर्देश दिए। ऊर्जा एवं राजस्व विभाग से अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

उन्होंने भूमि की पहचान एवं आवंटन से जुड़े मामलों का शीघ्र समाधान करने को कहा, ताकि निवेश परियोजनाओं में अनावश्यक देरी न हो। अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग शिखर अग्रवाल ने बताया कि राइजिंग राजस्थान के तहत 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश

प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। उन्होंने स्वीकृति योग्य प्रकरणों को शीघ्र मंजूर करने और जिनमें स्वीकृति संभव नहीं है, उनमें तत्काल निर्णय लेने के निर्देश दिए। बैठक में विभागावार लक्ष्यों और प्रगति की समीक्षा की गई तथा निवेश प्रस्तावों की नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए। संबंधित जिला कलक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में जुड़े।

जयपुर, अलवर, सर्वाईमाधोपुर, डीडवाना और कुचामन में जीएसटी विभाग की कार्रवाई

जयपुर। वाणिज्यिक कर विभाग ने कर अपवंचना, फर्जी बिलिंग, सर्कुलर ट्रेडिंग और अपात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के मामलों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। जयपुर, अलवर, सर्वाईमाधोपुर एवं डीडवाना-कुचामन में किए गए निरीक्षणों में करीब 1.93 करोड़ रुपए की संभावित कर देयता सामने आई, जबकि करदाताओं ने 1.74 करोड़ रुपए से अधिक स्वेच्छिक रूप से जमा या रिवर्स किए। जयपुर की एम/एस पचावती ट्रेवलस एंड कार्गो के यहां 1 सितम्बर को जांच में 1 करोड़ 38 लाख 88072 रुपए की आईटीसी का रिवर्सल नहीं किया जाना सामने आया। विभाग की कार्रवाई के बाद करदाता ने पूरी राशि स्वेच्छिक रूप से जमा कर दी। अलवर सॉल्वेक्स के यहां जांच में आग से नष्ट स्टॉक व आईटीसी से जुड़े मामले में करीब 30 लाख रुपए की संभावित देयता

■ निरीक्षण के दौरान 1.74 करोड़ रुपए से अधिक टैक्स स्वेच्छिक रूप से जमा कराया

सामने आई। यहां एम/एस एडव्यूएल एपी बिजनेस लिमिटेड के लिए सरसों तेल की पैकिंग का जाँचबूक किया जाता है और 11 सितम्बर को दस्तावेज व लेखा पुस्तकों के साथ उपस्थित होने का समन जारी किया गया है।

खेरलीवाला प्रोडक्ट्स प्रा. लि., अलवर में करीब 12 लाख रुपए की संभावित देयता के मामले में 10 लाख रुपए जमा कराए गए। सुजानगढ़ के गायत्री स्टोन क्रशर में सर्कुलर ट्रेडिंग, बिना वास्तविक आपूर्ति के बिल, आरसीएम में अंतर और टैन्डरओवर छिपाने की आशंका पर करीब 10.15 लाख रुपए की संभावित देयता आंकी गई और बिक्री

संबंधी दस्तावेज जमा किए गए।

सर्वाई माधोपुर के एम/एस शिव ऑयल इंडस्ट्रीज, खंडार में वर्ष 2022-23 की 16,61,504 रुपए और 2023-24 की 12 लाख 37 हजार 80 रुपए, कुल 28.98 लाख रुपए की आईटीसी के उपयोग का मामला सामने आया। इसमें 15 लाख रुपए स्वेच्छिक जमा हुए और विस्तृत जांच जारी है।

डीडवाना-कुचामन के मकराना स्थित एम/एस राधे कृष्णा टिम्बर्स में बिना उचित बिलिंग और आईटीसी के जरिए कर देयता कम करने की आशंका पर करीब 12 लाख रुपए की संभावित राशि आंकी गई। करदाता ने 10 लाख रुपए कैश लेकर के माध्यम से जमा किए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी मामलों में दस्तावेज, लेखा पुस्तकों, रिटर्न और डिजिटल डेटा के आधार पर जांच जारी रहेगी तथा तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।

मतदान के लिए मिलेगा सवैतनिक अवकाश

जयपुर। राजस्थान में नगरीय निकायों के आम चुनाव के लिए 9 व 11 सितंबर को मतदान होगा। मतदान में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के तहत मतदान के दिन मतदाता सूची में नाम वाले नियोजित कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त प्रज्ञा शर्मा ने बताया कि 9 एवं 11 सितंबर में से जिस तारीख को संबंधित क्षेत्र में मतदान होगा, उस दिन वह स्थित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत सभी पात्र कामगारों को सवैतनिक अवकाश मिलेगा।

399 खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच

जयपुर। जन्माष्टमी को देखते हुए खाद्य सुरक्षा टीम ने 1 से 5 सितंबर तक विशेष अभियान चलाया। इस दौरान दूध, मावा, पनीर, घी, मिठाई, मसाले सहित अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानों और

साक्षरता से सशक्त होता है समाज : देवनानी

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि साक्षरता केवल पढ़ने और लिखने की क्षमता नहीं, बल्कि व्यक्ति को ज्ञान, आत्मनिर्भरता, जागरूकता और सामाजिक सहभागिता से जोड़ने का सशक्त माध्यम है।

देवनानी ने कहा कि एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही सशक्त समाज तथा विकसित राष्ट्र की आधारशिला होता है। साक्षरता व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के साथ ही उसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग बनाती है तथा समाज की प्रगति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सक्षम करती है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा ने सदैव शिक्षा को सर्वोच्च महत्व दिया है।

ज्ञान व्यक्ति के जीवन को दिशा देने के साथ-साथ समाज में विवेक, समानता, आत्मविश्वास और सकारात्मक परिवर्तन का आधार बनता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा और ज्ञान की पहुंच सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

राजस्थान हाईकोर्ट के नए सीजे संजय के. अग्रवाल ने ली शपथ



राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने सोमवार को लोकभवन में राजस्थान हाईकोर्ट के नए सीजे संजय के. अग्रवाल को शपथ दिलाई।

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने सोमवार को लोकभवन में राजस्थान हाईकोर्ट के नए सीजे संजय के. अग्रवाल को शपथ दिलाई। जस्टिस संजय के. अग्रवाल ने राजस्थान हाईकोर्ट के 44 वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। शपथ के बाद राष्ट्रपति भवन से जारी वारंट पर साइन किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राज्यपाल से जस्टिस संजय के. अग्रवाल को शपथ

दिलवाने का आग्रह किया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू की ओर से सीजे अग्रवाल के नियुक्ति वारंट को पढ़कर सुनाया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल, उप मुख्यमंत्री दिया कुमार व डॉ. प्रेमचंद बैरवा और मंत्रिमंडल के सदस्य, जनप्रतिनिधि, हाईकोर्ट के जज, अधिकारी व वकील सहित सीजे अग्रवाल के परिजन भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद सीजे जोधपुर के लिए रवाना हो गए। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश

शर्मा व सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता के बीच में चल रहे विवाद के दौरान पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजय के. अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का सीजे नियुक्त करने की सिफारिश की थी। इसके बाद 4 सितंबर को भारत सरकार के विधि व न्याय मंत्रालय ने जस्टिस संजय के. अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का सीजे नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की और राष्ट्रपति भवन से उनके नियुक्ति वारंट जारी किए गए।

सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाकर 16 नवंबर तक पालना रिपोर्ट पेश करो : हाईकोर्ट

प्रताप नगर सेक्टर-5 में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर नगर निगम और हाऊसिंग बोर्ड को निर्देश दिए अदालत ने

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रताप नगर से नगर निगम और आवासन मंडल को अतिक्रमण हटाकर 16 नवंबर को पालना रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।

जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह आदेश विकास समिति सेक्टर 5 की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में प्रमुख नगरीय विकास सचिव सहित जेएन, मोहम्मद सैफ, सुफुरहमान और सरवर आजमी को पेश हुए। प्रमुख नगरीय विकास सचिव की

ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में गत 3 सितंबर को बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें निर्णय लिया गया की मौके पर मौजूद अतिक्रमणों को आवासन मंडल और नगर निगम मिलकर हटाएगा। अतिक्रमण हटाने के लिए राज्य सरकार की ओर से तीन माह का समय मांगा गया।

इस पर अदालत ने निगम आयुक्त और आवासन मंडल से 16 नवंबर को शपथ पत्र पेश कर पालना रिपोर्ट दायर करने को कहा है। बीती सुनवाई पर अदालत के सामने आया था कि कॉलोनी को नगर निगम के क्षेत्राधिकार में सौंपा जा चुका है। वहीं निगम आयुक्त

ने अदालत में पेश होकर कहा था कि विवादित कॉलोनी से अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम उत्तरदायी नहीं है। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि जब जवाब पेश कर मौके पर अतिक्रमण माना जा चुका है तो फिर उसे हटाने की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली जा रही है।

इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख नगरीय विकास सचिव, जेडीए और आवासन मंडल सचिव सहित निगम आयुक्त को 7 सितंबर को पेश होने के आदेश दिए थे। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विकास काबरा ने बताया कि हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल, 2022 को नगर

निगम को आदेश दिए थे कि वह अतिक्रमण के संबंध में मिली शिकायतों का परीक्षण करें और अतिक्रमण पाए जाने पर चार माह में नियमानुसार कार्रवाई करें। इसके बाद 24 जुलाई को जेडीए और आवासन मंडल सहित अन्य विभागों के अफसरों ने बैठक कर माना की मौके पर करीब 145 अतिक्रमण हैं, लेकिन इन्हें रोड, सीवरेज और बिजली-पानी के कनेक्शन जारी हो चुके हैं। इसलिए अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर इन्हें नियमित करने की छूट मांगी जाएगी। इस प्रार्थना को हाईकोर्ट खारिज कर चुकी है। इसके बावजूद भी अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया।

जिंदा बम प्रकरण में उम्रकैद काट रहे अभियुक्त को रिहा करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया

जयपुर में साल 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों का मामला

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर में साल 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के दौरान जिंदा मिले बम के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे अभियुक्त मोहम्मद सरवर आजमी को रिहा करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरदेव और जस्टिस प्रसादबी. पराले की खंडपीठ ने यह आदेश सरवर आजमी की ओर से दायर सजा सस्पेंड के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इससे सामान्य जमानत

के मामले की तरह नहीं देखा जा सकता। प्रार्थना पत्र में अभियुक्त की ओर से कहा गया कि घटना के दिन हुए आठ बम धमाकों में कई लोग मारे गए और कई घायल हुए थे। इसके अलावा एक बम जिंदा मिला था। वह ब्लास्ट हुए बम धमाकों को लेकर चले आठ मामलों में हाईकोर्ट से पहले ही बरी हो चुका है। सभी 9 बम एक ही साजिश का हिस्सा थे, इसलिए यदि उसे आठ मामलों में निर्दोष पाया गया है, तो इस जिंदा बम के मामले में उसे जेल में नहीं रखा जा सकता।

प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया कि उसे मामले में घटना के 12 साल

■ अदालत ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इससे सामान्य जमानत के मामले की तरह नहीं देखा जा सकता।

बाद गिरफ्तार किया गया और यह करीब पन्द्रह साल जेल में बिता चुका है। इसलिए उसे रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने अदालत को बताया कि जिंदा बम का

मामला आठ अन्य मामलों में पूरी तरह अलग है। जिस साइकिल का उपयोग बम ले जाने के लिए किया गया था, उसे बेचने वाले विक्रेता ने सरवर आजमी को बतौर खरीदार के तौर पर पहचाना है। इस साक्ष्य को पहले के मामलों में हाईकोर्ट ने खारिज नहीं किया था। वहीं आठ मामलों में बरी करने के फैसले के खिलाफ भी राज्य सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। एएजी ने कहा कि देरी से गिरफ्तारी का मतलब यह नहीं है कि मामला फर्जी है। इसलिए आरोपी की सजा को स्थगित नहीं किया जाए। गौरतलब है कि 13 मई 2008 को शहर

में एक के बाद एक आठ जगह ब्लास्ट हुए थे। वहीं चांदपोल हनुमान मंदिर के पास एक बम जिंदा मिला था। विशेष अदालत की ओर से मिली फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने मार्च, 2023 में रद्द कर सरवर आजमी सहित अन्य आरोपियों को बरी किया गया था। वहीं विशेष अदालत के फैसले के करीब आठ माह बाद अभियोजन पक्ष ने जिंदा बम को लेकर आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। जिसमें फैसला देते हुए अदालत ने 8 अप्रैल, 2025 को शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, सुफुरहमान और सरवर आजमी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

कांग्रेस ने रखा जयपुर के कायाकल्प का खाका

जयपुर। नगर निगम चुनाव को लेकर जयपुर शहर कांग्रेस ने सोमवार को वर्ष 2027 से 2032 तक के लिए अपना घोषणा पत्र 'जयपुर-2032 परिवर्तन का संकल्प' जारी किया। कांग्रेस ने इसे 'मिशन-25' बताते हुए शहर के विकास से जुड़े 25 प्रमुख मुद्दों पर काम करने का रोडमैप पेश किया। इसमें यातायात, जलभराव, सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, खेल, पर्यटन, विरासत, सफाई और नगर निगम की वित्तीय व्यवस्था सहित कई क्षेत्रों के लिए समयबद्ध लक्ष्य तय किए गए हैं।

जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खावरियावास, विधायक रफीक खान और अमीन कागजी ने घोषणा पत्र जारी किया। शर्मा ने कहा कि दस्तावेज को तैयार करने में आर्किटेक्ट, वित्तीय विशेषज्ञ और पत्रकारों समेत विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से सुझाव लिए गए हैं। इसमें प्रत्येक कार्य के लिए समय, बजट और परिणाम की निगरानी पर जोर दिया गया है।

जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा ने बताया कि कांग्रेस ने

■ वर्ष 2032 तक शहर के हालात बदलने का दावा

2032 तक सभी 150 वार्डों में सिटी सेंटर विकसित करने का लक्ष्य रखा है। 2027 में सर्वे कर स्थान चिह्नित किए जाएंगे। हर वार्ड में वार्ड सभा और वार्ड मित्र बनाए जाने का भी वादा किया गया है। हर साल के कार्यों की योजना पहले से तैयार कर काम शुरू और पूरा करने की समय सीमा तय करने की बात कही गई है। वहीं 2028 तक पूरे शहर का वैज्ञानिक जल निकासी मानचित्र तैयार कर 2032 तक प्रमुख जलभराव वाले क्षेत्रों में 80 प्रतिशत तक कमी लाने का लक्ष्य है। नालों के सुधार, पुलिस पुनर्निर्माण, भूमिगत जल निकासी, वर्षाजल संयंत्रन और प्राकृतिक जलमार्गों के पुनर्जीवन का प्रस्ताव है। 50 प्रमुख मार्गों और 100 चौराहों को आधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने, कैमरे और सेंसर के जरिए जाम की निगरानी की योजना है।

पीएम सूर्यधर योजना के लिए वैंडर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग पर जोर दें : मुख्य सचिव

जयपुर (कासं)। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोमवार को शासन सचिवालय में ऊर्जा विभाग की कार्य प्रगति की समीक्षा की। बैठक में पीएम-कुसुम, पीएम सूर्यधर मुफ्त बिजली योजना, आरडीएसएस, बजट घोषणाओं की क्रियान्विति, केन्द्र सरकार के स्तर पर लंबित प्रकरणों, राइट ऑफ वे मामलों तथा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त विद्युत संबंधी शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने पीएम सूर्यधर योजना के सफल एवं प्रभावी संचालन के लिए वैंडर्स की क्षमता निर्माण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप के माध्यम से अधिक से अधिक वैंडर्स को प्रशिक्षण देने और वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए, ताकि योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सके।

‘वन स्टेट-वन इलेक्शन’ की पहल राजस्थान से हुई : मदन राठौड़ प्रदेश की जनता ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का मन बना चुकी : भाजपा प्रदेशाध्यक्ष

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीत की ओर बढ़ रही है। राजस्थान की जनता विकास के लिए 'ट्रिपल इंजन' की सरकार बनाने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और स्थानीय निकायों में भाजपा की सरकार बनने से विकास कार्यों को गति मिलेगी तथा संसाधनों की कमी नहीं रहेगी। राठौड़ ने कहा कि भाजपा के पास योग्य और समर्पित कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या है। टिकट नहीं मिलने से कहीं नाराजगी या विरोध है तो उसे बातचीत और संतुलन के स्तर पर दूर किया जा रहा है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन विरोधी गतिविधियाँ बर्दाश्त नहीं होंगी और पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने जंतर-मंतर प्रदर्शन को लेकर भी कहा कि देश और राजस्थान की गौरवशाली परंपराओं को बदनाम करने वालों को



भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने सोमवार को पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल के वार्ड 110 में जनसंपर्क किया।

कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए। मदन राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल

शर्मा ने राजस्थान में 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' की पहल की है। स्थानीय

निकाय, पंचायत और सहकारिता क्षेत्र के चुनाव एक साथ होने से बार-बार

चुनावी प्रक्रिया में लगने वाला समय बचेगा और सरकार व जनप्रतिनिधि विकास कार्यों पर अधिक ध्यान दे सकेंगे।

राठौड़ ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में जयपुर शहर के विधायकों के साथ बैठक कर प्रस्तावित रोड शो की तैयारियों की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने वार्ड 110 की भाजपा प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल, वार्ड 111 के संजय जायसवाल और वार्ड 108 की मीनाक्षी पारीक के समर्थन में जनसंपर्क किया। शाम को झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 35 में भाजपा प्रत्याशी विमल कटियार के समर्थन में धावास रोड स्थित यादव मैरिज गार्डन से रजनी विहार, जगदंबा नगर ए, बी, सी, जगदीशपुरी एवं निर्बाक मंदिर क्षेत्र तक रोड शो किया। इसमें विधायक एवं कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सहित भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देर शाम वार्ड 137 में भाजपा प्रत्याशी विमल अग्रवाल के समर्थन में भी प्रचार किया।